प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर की आयकर विभाग में 2014-15 से 2017-18 के दौरान तलाशी और जब्ती निर्धारणों की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो मार्च 2019 से जुलाई 2019 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।